कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक– 3421 /मीरजापुर/ 10रिट, दिनांक, मीरजापुर, अप्रैल 2024

सेवा मे,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर।

विषय– अहरौरा स्थित मौजा बेलखरा मे कम्पनी ए०सी०पी० टोल प्लाजा प्रशासन द्वारा वन भूमि पर अवैध निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध मे ।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक– 3972 / मी० / 10रिट, दिनांक 05.04.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन मे अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में मा० अधिकरण के समक्ष रिपोर्ट दाखिल किये जाने हेतु कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के कार्यालय आदेश संख्या–3212 / मी0क्षे0 / 10रिट, दिनांक 16.02.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर की अध्यक्षता में 04 सदस्यीय समिति का गठन कर जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी ।

विन्दु संख्या–1.

समिति द्वारा जॉच आख्या में कुल 7.79 हे0 आरक्षित वन भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया। जिसके विरूद्ध मा0 न्यायालय से आच्छादित 3.794 हे0 के अतिरिक्त कब्जा पाया गया जिस पर नियमानुसार निम्न प्रकार से कार्यवाही की गयी हैं।

विन्दु संख्या–2.

04 हे0 निर्विवादित आरक्षित वन भूमि पर अवैध कब्जा के किये जाने के विरूद्ध एच–2 केस संख्या–01 / चुनार / 2024–25 दिनांक 01.04.2024 को जारी किया।

विन्दु संख्या–3.

क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार के पत्र संख्या–292 / चुनार / 10केस, दिनांक 01.04.2024 के द्वारा भारतीय वन अधिनियम के अन्तागर्त बेदखली किये जाने की संस्तुति के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–61बी के तहत् ए०सी०पी० टोल प्लाजा के विरूद्ध वाद संख्या–4 / 2024 रजिस्टर में दर्ज कर नोटिस जारी की गयी है।

विन्दु संख्या–4.

आरक्षित वन भूमि क्षेत्र में उपसा द्वारा 7.79 हे0 भूमि में अवैध निर्माण हेतु इस कार्यालय द्वारा पत्रांक–3422 / मीरजापुर / 10 केस, दिनांक–01.04.2024 द्वारा कार्यदायी संस्था उपसा को नोटिस जारी की गयी है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

फार्म सं० एच-2 201 — रेंज केस सं० 1

वन विभाग उत्तर प्रदेश .... परिधि (सर्किल) मीरजापुर .... खण्ड (डिवीजन) मीरजापुर ....

26 वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1) के .... प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० 01 .... दिनांक 1/4/2024 अधिक्षेत्र (रेंज)

अन्य अपराध .... वन संरक्षण अधिनियम 1980 के .... प्रावधानों का उल्लंघन

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान ए० सी० पी० टोल प्लाजा ग्राम बेलखरा थाना अहरौरा मीरजापुर

2. साक्षी का नाम श्री त्रिभुवन नाथ सिंह वन दरोगा व स्टाफ

3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक 1/4/2024 — ग्राम- बेलखरा के आराजी० संख्या 827 मी० में लगभग 4.00 हे० क्षेत्र में अवैध कब्जा करना।

4. मूल्य — [illegible] 1.4.24

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन — जाँच जारी है [illegible]
क्षेत्रीय वनाधिकारी

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

महोदय,
ए० सी० पी० टोल प्लाजा ग्राम बेलखरा तहसील-चुनार जि० मीरजापुर के सम्बन्ध में इन्फोर्समेंट के सम्बन्ध में सपोर्टिंग एप्लीकेशन नं० 112/2024 (आई.ए. नम्बर, 45/2024) के सम्बन्ध में ... स्टाफ के साथ मौके कि जाँच के दौरान पाया गया कि A.C.P टोल प्लाजा द्वारा ग्राम बेलखरा तहसील- चुनार- जि० मीरजापुर के भा० व० अ० 1927 के धारा 20 के अन्तर्गत विज्ञप्ति आराजी सं० 827 मी में पूर्व में अधिग्रहीत 3.79 हे० के अतिरिक्त लगभग 4.00 हे० क्षेत्र में वन सीमा को नष्ट कर अवैध निर्माण कर कर्मचारी आवास स्टोर आदि का निर्माण करते हुए ... किया है। उक्त के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित कर्मचारियों से ... कहा ... पता चला कि उक्त अवैध कब्जा ए० सी० पी० टोल प्लाजा द्वारा किया गया है। ए० सी० पी० टोल प्लाजा द्वारा भा० व० अ० 1927 की धारा 26(1) का, एवं धारा 23(ग) तथा व० सं० अ० 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय में ... रिट याचिका 202/1995 टी. एन. गोडावर्मन थिरुमलपाड बनाम भारत संघ में पारित आदेश दि० 12/12/1996 की अवमानना है। अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रेषित।

भवदीय
(राजेन्द्र प्रसाद ...)
वन दरोगा
अहरौरा कोठी
1/4/2024

कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार रेंज।

पत्रांक 991 /चुनार /10-23 / दिनांक 01 अप्रैल 2024।

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग
मीरजापुर

विषय– 61 बी के नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित के क्रम में चुनार रेंज के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम बेलखरा में हुये अतिक्रमणकारी के विरूद्ध 61 बी की नोटिस निर्धारित प्रारूप में बनाकर मूल में संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संललग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय

क्षेत्रीय वनाधिकारी
चुनार रेंज।

नोटिस

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक – 3429 /मीरजापुर/33 व0ब0 दिनांक– 01.04.2024।

सेवा मे,

परियोजना निदेशक
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण
चतुर्थ तल किसान भवन
विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के एप्लीकेशन संख्या–112/2024 (I.A.N0.45/2024) चौधरी यशवन्त सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक– 02.02.2024 के क्रम में गठित जॉच समिति कि रिपोर्ट मे उल्लिखित किया गया है कि ग्राम–बेलखरा, थाना–अहरौरा, तहसील–चुनार, मीरजापुर मौके कि स्थलीय/अभिलेखिय आधार पर पाया गया कि भारतीय वन अधिनियम 1927 कि धारा–20 में विज्ञापित गाटा संख्या 827 मि0 में 7.79 हेक्टेयर वन भूमि पर सडक चौडीकरण भूमि के अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर बाउन्ड्री बनाकर सेड हेड, कार्यालय व आवासीय कमरा निर्माण किया गया है, प्रश्नगत प्रकरण में मौके पर स्थित ए0सी0पी0 टोल वेज कम्पनी से पूछ तॉछ कि गयी तो ए0सी0पी0 टोलवेज कम्पनी ने दिनांक 12.03.2024 के लिखित रूप से अवगत कराया गया है कि **"उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण (उपशा) लखनऊ के द्वारा हम निर्माण कर्ता कम्पनी को समस्त प्रकार कि अनुमति प्राप्त कर अतिक्रमण मुक्त ROW (Road of way) उपलब्ध कराया गया है जिसके भीतर उपशा द्वारा दिए गए निर्देशों व् डिजाइन के अनुसार सड़क तथा टोल प्लाजा आदि का निर्माण कर उपशा के द्वारा अनुमति प्राप्त होने पश्चात् टोल वसूली कंपनी द्वारा की जा रही है अवैधानिक तरीके से किसी भी टोल प्लाजा का निर्माण नहीं किया गया है और न ही अवैधानिक तरीके से किसी भी प्रकार की टोल वसूली की जा रही है"**।

उपर्युक्त कम्पनी द्वारा वर्णित कथन के आधार पर ग्राम–बेलखरा, थाना–अहरौरा, तहसील–चुनार, मीरजापुर भारतीय वन अधिनियम 1927 कि धारा–20 में विज्ञापित गाटा संख्या 827 मि0 मे 7.79 हेक्टेयर वन भूमि पर सडक चौडी करण भूमि के अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर बाउन्ड्री कर सेड हेड, कार्यालय व आवासीय कमरा निर्माण कर आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में तथ्य परक आभिलेखी आधार पर आख्या दिनांक–16.04.2024 को इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में भारतीय वन अधिनियम 1927 व वन सरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानो के तहत नियमानुसार कार्यावाही किये जाने के लिए बाध्य होना पडेगा।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

नोटिस अन्तर्गत धारा- 61 बी(1) भारतीय वन अधिनियम -1927

वाद संख्या–4 / 2024

सेवा में,

ए0सी0पी0टोल वेज,
(वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग)
ग्राम–बेलखरा, थाना–अहरौरा,तहसील–चुनार,
जिला–मीरजापुर।

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है, कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज ने अपने पत्रांक– 292 / चुनार / 10केस, दिनांक 01.04.2024 द्वारा संलग्न रेंज केस संख्या–01 / चुनार / 2024–25, दिनांक 01.04.2024 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि आपने आरक्षित वन क्षेत्र में गाटा संख्या–887 मी0, रकबा–4.0 हेक्टेयर में ग्राम–बेलखरा, थाना–अहरौरा, तहसील–चुनार, मीरजापुर में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जॉच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे सन्तुष्ट होने के पर्याप्त आधार है, कि आपने आरक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आपको सूचित किया जाता है, कि आप दिनांक .... को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध धारा–61 बी (2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो समझा जायेगा, कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप बेदखली का आदेश जारी कर दिया जायेगा।

प्राधिकृत अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर